

**फर्द अहकाम**  
**कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द**

भारतीय स्टेट बैंक, शाखा मचीन्द (31687) जिला राजसमन्द

— प्रार्थी (प्रतिभूत लेनदार)

**बनाम**

- मैसर्स रुद्र प्रिया पेन्ट्रस एण्ड बिल्डिंग मैटेरियल्स
1. प्रो. श्री चेतन जोशी पुत्र श्री जगदीश चन्द्र जोशी पता :- पेट्रोल पंप के पास, ब्रह्मपुरी गांवगुडा, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद (राज.) 313321

— अप्रार्थीगण/ऋणी/जमानतदार

**किस्म मुकदमा—** प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट

**पत्रावली संख्या 08/2024**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हरताबार पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p><b>दिनांक 02.05.2024</b></p> <p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक ने दिनांक 16.04.2024 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया है जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।</p> <p>प्रार्थी बैंक ने ऋणी मैसर्स रुद्र प्रिया पेन्ट्रस एण्ड बिल्डिंग मैटेरियल्स प्रो. श्री चेतन जोशी पुत्र श्री जगदीश चन्द्र जोशी पता :- पेट्रोल पंप के पास, ब्रह्मपुरी गांवगुडा, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद (राज.) 313321 को रूपये 10,00,000/- का ऋण स्वीकृत किया था जिसे बढ़ाकर रूपये 12,03,000/- कर दिया एवं रूपये 72,500/- का ऋण स्वीकृत किया था इस हेतु ऋणी/ऋणियों/जमानतदारों ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित किये थे। उक्त ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है :- चल सम्पत्ति:- <b>Hypothecation of stock, (All kind of Paints and Building Materials)</b> जो निम्न पता :- पेट्रोल पंप के पास, ब्रह्मपुरी गांवगुडा, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद (राज.)। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक के द्वारा नियमानुसार दिनांक 28.02.2022 को अनर्जक परिसम्पत्ति (NPA) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी ने दिनांक 20.10.2023 को मांग नोटिस वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस भेज करके 60 दिन में ऋण राशि रूपये 16,95,777/- दिनांक 19.10.2023 तक एवं इसके पश्चात के ब्याज व खर्च अतिरिक्त भुगतान करने के लिए मांग की। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रतिभूत आस्ति को अपने कब्जे या नियंत्रण में लेकर प्रतिभूति लेनदार (बैंक) को सुपुर्द करने का अधिकार प्राप्त है। सम्पत्ति का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करना अति आवश्यक है।</p>	



2/16

प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांक: 20.10.2023 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने के बावजूद भी अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा ऋण की बकाया राशि मय भुगतान नहीं किया गया है। आवेदक बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ-पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक ने ऋणी मैसर्स रूद्र प्रिया पेन्ट्रस एण्ड बिल्डिंग मैटेरियल्स प्रो. श्री चेतन जोशी पुत्र श्री जर्गदीश चन्द्र जोशी पता : पेट्रोल पम्प के पास, ब्रह्मपुरी गांवगुडा, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद (राज.) 313321 को रूपये 10,00,000/- का ऋण स्वीकृत किया था जिसे बढ़ाकर रूपये 12,03,000/- कर दिया एवं रूपये 72,500/- का ऋण स्वीकृत किया था इस हेतु ऋणी/ऋणियों/जमानतदारों ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित किये थे। उक्त ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है :- चल सम्पत्ति :-  
**Hypothecation of stock, (All kind of Paints and Building Materials)**  
जो निम्न पता :- पेट्रोल पंप के पास, ब्रह्मपुरी गांवगुडा, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद (राज.) ।

उपरोक्त प्रकरणाधीन सम्पत्ति किसी अन्य दीगर को अन्तरण नहीं की हो, किसी माननीय न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा मचीन्द के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा मचीन्द को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावे।

**पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं० से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।**

*ballo*  
**(डॉ. मंवर लाल)**  
जिला मजिस्ट्रेट  
राजसमन्द

